फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :– **श्री नाथूलाल**
विपक्षी :– **श्री जालु**

किस्म मुकदमा :– 212 रा.का.अधिनियम
पत्रावली संख्या :– 46/17

जीसीएमएस नम्बर :– 2017/00091

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 11.11.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। विपक्षी संख्या 7 से 9 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। विपक्षी संख्या 1 से 5 को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर बन्द किया जा चुका हैं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 6 के विरूद्व कोई कार्यवाही नहीं चाहने से इनके विरूद्व कार्यवाही ड्रोप की जा चुकी हैं। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस टी.आई पूर्व पेशी पर सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा पिपरोली पटवार हल्का नूरडा तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 की खाता संख्या 22 पर दर्ज आराजी नम्बर 536, 537, 542, 1054 किता 4 कुल रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, खाता संख्या 55 पर दर्ज आराजी नम्बर 541, 543, 1838/533 किता 3 कुल रकबा 1 बीघा एवं खाता संख्या 56 पर दर्ज आराजी नम्बर 544 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा भूमि प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 से 8 के पिता/पति तथा विपक्षी संख्या 9 के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। प्रकरण के अवलोकन से प्रार्थी द्वारा घोषणा, बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है वादग्रस्त भूमि प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 से 8 के पिता/पति कालु उर्फ कालिया व विपक्षी संख्या 9 उदा के नाम संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। प्रार्थी द्वारा कालु उर्फ कालिया का स्वर्गवास होना बताकर प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 से 8 को कालु उर्फ कालिया के वारिसान होना बताया तथा कालु उर्फ कालिया के नाम दर्ज हिस्सा भूमि को अपने नाम दर्ज करवा बंटवाडा करवाना चाहता हैं। प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 से 8 के मौरूस कालु उर्फ कालिया की मृत्यु के बाद मौखिक बंटवाडे अनुसार प्रार्थी एवं विपक्षीगण अलग–अलग भाग पार काबिज हो काश्त कर रहे है परन्तु भूमि का राजस्व रेकार्ड में बंटवाडा नहीं होने से आये दिन लडाई झगडा होते है इसलिए प्रार्थी बंटवाडा करवाने का अधिकारी हैं। प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षी संख्या 1 से 9 को पाबंद करवाना चाह रहा हैं परन्तु वादग्रस्त भूमि प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 से 8 के मौरूस के [illegible] होने से यदि विपक्षीगण को रिकार्ड की यथास्थिति [illegible] किया जाता है तो इससे मृतक खातेदार के वि[illegible] नहीं हो [illegible] तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:28:07 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी व विपक्षीगण को ही काफी असुविधा का सामना करना पडेगा। मूल वाद बंटवाडे का होने से यदि प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 5, 7 से 9 को मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है एवं प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 5, 7 से 9 मौके की स्थिति परिवर्तन कर देते है तो इससे प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 5, 7 से 9 को ही अपूरणीय क्षति होगी एवं प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 5, 7 से 9 को काफी कठिनाई का सामना करना पडेगा। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी व विपक्षी संख्या 1 से 8 के मौरूस व विपक्षी संख्या 9 के नाम दर्ज होने से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 5, 7 से 9 के पक्ष में साबित होते हैं। चूंकि सहखातेदारी की भूमि में प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जाता हैं। इसलिए प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 5, 7 से 9 को मूल वाद के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं। शेष अन्य बिन्दू मूल वाद में साक्ष्य सबूत गवाह आदि के आधार पर तय किये जावेगे। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा पिपरोली पटवार हल्का नूरडा तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070—73 की खाता संख्या 22 पर दर्ज आराजी नम्बर 536, 537, 542, 1054 किता 4 कुल रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, खाता संख्या 55 पर दर्ज आराजी नम्बर 541, 543, 1838/533 किता 3 कुल रकबा 1 बीघा एवं खाता संख्या 56 पर दर्ज आराजी नम्बर 544 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा भूमि में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 5, 7 से 9 मूल वाद के निस्तारण तक खातेदार कालिया पिता दुदा मेघवाल एवं उदा पिता लाला के नाम दर्ज हिस्सा भूमि के मौके की यथास्थिति बनाए रखें। किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें। कृषि कार्य करने पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:28:07 IST
Reason: SelfAttested